

Sakarsq.
Anandra Kumar Privedi

part Time Law Teacher.

Subject: Evidence Act
PART - III

सुसंगत तथ्य (Relevancy and Admissibility terms.)

सुसंगत - एक तथ्य उसी तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अभिप्राय है उपरोक्त के निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस उसी तथ्य से सम्बन्धित हो।

विकल्पक तथ्य से अभिप्राय है कोर्ट की तथ्य जिसे अभिप्राय या दायित्व कोर्ट न्यायालय विकल्पक तथ्य को विवेक प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तथ्य प्रकृत विचार के उपरोक्त के अभिप्राय कायम है तब ही विकल्पक तथ्य को उक्त में जिस तथ्य का सम्बन्ध विचार जाया है। वह विकल्पक तथ्य है।

वृत्तान्त - जैसे क ने ए की दृष्टि की। इसमें सुसंगत वाली बात यह है कि क ने ए की दृष्टि जिस पाला-बुरा धूल-धूलि या कोर्ट हीस कायम साधन का है। न्यायालय तथ्य विषयों का न्यायालय के कार्यों में जो न्यायालय धारा 107 के अंतर्गत और उक्त साक्ष्य उक्तोक्त लगा करते हैं वह उक्तोक्त साक्ष्य उक्तोक्त हैं। जैसे ए का विवाह बी के साथ हुआ और

बी अर्थात् एने के अभिप्राय साथ रहने के साथ। उसी बात धारा 107 के अंतर्गत उक्त के अर्थों के अंतर्गत बी के एक विषय को जन्म दिया। जहां विचार उक्त बात का अभिप्राय कहेगी कि बी के जिस विषय को उक्तोक्त तथ्य से सम्बन्धित लगा उपर्युक्त उक्त को उक्तोक्त के साथ उक्तोक्त उक्तोक्त का यल एवं अपर सम्बन्धित पा सेगां।